

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

पृ.क्र. 504 / SW_Diss Memo / 2026

धार, दिनांक 11.06.2026

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. सचिव माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (जिला-धार), माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-इन्दौर।
3. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय धार,
5. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
6. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/प्रशिक्षु न्यायाधीश, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, धार/बदनावर/सरदारपुर/मनावर/कुक्षी/धरमपुरी
9. सिस्टम ऑफिसर/असिस्टेंट, धार की ओर उक्त पृष्ठांकन/ज्ञापन की प्रति समस्त न्यायाधीशगण एवं तहसील स्थापना के ई-मेल आय.डी. पर अपलोड किये जाने बाबद प्रेषित।

-00-

की ओर वर्ष 2026 के कार्य विभाजन पत्रक की प्रति सरल क्र. 01 व 02 की ओर सूचनार्थ एवं शेष सरल क्रमांक 3 से 9 के लिए पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धार (म0प्र0)

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026

क्रमांक-484/का.वि. पत्रक/2026

धार, दिनांक 11.06.2026

मैं श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 एवं 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य वितरण के संबंध में पूर्व में इस स्थापना से प्रसारित कार्य वितरण (संशोधन कार्य वितरण आदेश शामिल करते हुये) को अतिष्ठित करते हुए, सिविल जिला धार में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्यों एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दाण्डिक कार्यों का वितरण एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती हूँ।

यह आदेश दिनांक 15.06.2026 से प्रभावशील होगा, जो पूर्व से लंबित कार्यवाहियों एवं प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

मुख्यालय धार (H.J.S.)			
क्र.	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	सम्पूर्ण सत्र खंड, धार	1. सत्र प्रकरण व उनसे उद्भूत विविध कार्यवाहियां, आपराधिक अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण। 2. धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन। 3. धारा 448 एवं 449 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरण आवेदन। 4. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों के प्रकरण।

		5. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रकरण। 6. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन प्रकरण। 7. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अपीलें। 8. अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध रिवीजन व अन्य कार्यवाहियां। 9. अन्य समस्त ऐसे प्रकरण व कार्यवाहियां, जो कि अनन्यतः सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हैं, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. रुपये 1,00,00,000 /—(एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। 2. समस्त व्यवहार न्यायाधीशों द्वारा पारित निर्णयों, जयपत्रों तथा आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें। 3. सी.पी.सी. की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन। 4. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण, जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 5. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेशों की अपीलें। 6. म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1981 की धारा 20 के अन्तर्गत, प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 7. 5,00,00,000 /—(पांच करोड़) से अधिक के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत प्रकरण। 8. खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के अंतर्गत अपीलें। 9. जिला धार की स्थानीय सीमाओं हेतु अधोसंरचना परियोजना से संबंधित दावें। (विशेष न्यायालय) 10. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के अन्य व्यवहार प्रकृति के प्रकरण व कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है और जो जिला

			न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों।
2.	विशेष न्यायाधीश, अंतर्गत अ.जा. एवं ज.जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार	सम्पूर्ण जिला धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. विधि विभाग अधिसूचना क्र. 2469/2021 दिनांक 15.07.2021 एवं तत्संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक-डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अधधीन रहते हुए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन सभी विशेष मामले एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 3. तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध अपराध (OAW)।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार।	सत्र खंड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा प्रस्तुत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रकरण, जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 3. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।

		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
4.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	सत्र खण्ड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक बी/1951 जबलपुर दिनांक 23.04.2025 के अनुसार कॉलम क्रमांक 3 के क्षेत्राधिकार के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण, ऐसे प्रकरणों को शामिल करते हुए, जिनमें उक्त विशेष अधिनियम के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि., 1989 का अपराध भी है। ऐसे प्रकरणों के जमानत आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियां। 3. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण, जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।

5.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	सत्र खंड-धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. ज्ञापन क्र. सी/1336/ तीन-2-41/76, दिनांक 21.03.2017, के आलोक में विविध कार्यालयीन आदेश क्रमांक 01/एस.डब्ल्यू/कार्य.विभा./2025, धार दिनांक 06.01.2025 के आलोक में तहसील धार से संबंधित चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों से संबंधित प्रकरण। 3. म.प्र. उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन क्रमांक-ए/6630/तीन-6-6/2018 दिनांक 13.09.2023 व रिट पिटीशन क्रमांक-754/2016 तेहसीन वि. यूनियन ऑफ इंडिया में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 में दिये गये निर्देशानुसार भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & Mob Violence) से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 4. अधिसूचना क्र. सी/2054 Electricity Act तीन-6-4/2003, जबलपुर, दिनांक 06/03/2025 के आलोक में <u>धार एवं बदनावर</u> न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियां।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र धार एवं सादलपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 2. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार/अपर सदस्य, एम.ए.सी. टी. धार द्वारा पारित अधिनिर्णयों/अपीलों संबंधी राशि भुगतान की कार्यवाहियां।

			3. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	सत्र खण्ड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, रिवीजन, जमानत आवेदन एवं अन्य प्रकरण। 2. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना क्रमांक बी/1949 जबलपुर दिनांक 23.04.2025 के आलोक में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत वे प्रकरण जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को दिया गया है एवं उन मामलों से संबंधित जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 3. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय 4 के अन्तर्गत प्रकरण।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र तिरला एवं नौगांव के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 2. 1,00,00,000/—(एक करोड़) तक के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत प्रकरण। 3. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे।

			4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
7	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	सत्र खण्ड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र माण्डव व नालछा के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 2. पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकरण व अन्य कार्यवाहियां। 3. 1,00,00,000 /-(एक करोड़) से अधिक एवं 2,00,00,000 /-(दो करोड़) तक के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत प्रकरण। 4. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
8.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धार	सत्र खण्ड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।

		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र सागौर, पीथमपुर एवं पीथमपुर सेक्टर-1 के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 2. 2,00,00,000/-(दो करोड़) से अधिक एवं 5,00,00,000/-(पांच करोड़) तक के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत प्रकरण। 3. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 4. द्वितीय जिला न्यायाधीश/द्वितीय सदस्य, एम.ए.सी. टी., धार द्वारा पारित अधिनिर्णयों/अपीलों संबंधी राशि भुगतान की कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलों, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
तहसील स्थापना बदनावर (H.J.S.)			
9.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर	सत्र खंड धार की तहसील बदनावर	1. तहसील बदनावर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाएं, का प्रथम प्रस्तुतिकरण उक्त न्यायालय में होगा, आवंटन मुख्यालय धार से होगा। 2. कॉलम 3 के समस्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत जमानत आवेदनों की सुनवाई। 3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्या. निवारण) अधिनियम, 1989 के अपराध भी शामिल हैं, व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत

		बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियां।
	तहसील बदनावर	1. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार से संबंधित रूपये 1,00,00,000/-(एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद, सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 2. पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व अन्य कार्यवाहियां। 3. आरक्षी केन्द्र बदनावर एवं कानवन के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 4. कुटुम्ब न्यायालय, धार के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर उसी प्रकृति के कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के सभी दीवानी प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 के अध्याधीन रहते हुए वे मामले, जो जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के हों। 6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 7. म.प्र. नगरपालिका अधि., 1981 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 8. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे।

			9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
तहसील स्थापना कुक्षी (H.J.S.)			
10.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी	सत्र खण्ड धार की तहसील कुक्षी	1. तहसील कुक्षी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, किन्तु (भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रकरणों को छोड़कर) का प्रथम प्रस्तुतिकरण उक्त न्यायालय में होगा, किन्तु आवंटन मुख्यालय धार से होगा। 2. तहसील कुक्षी के समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, के मामलों के जमानत आवेदन एवं आरक्षी केन्द्र कुक्षी एवं टाण्डा से उद्भूत अन्य जमानत आवेदनों की सुनवाई। 3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्या. निवारण) अधिनियम, 1989 के अपराध भी शामिल हैं, व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन।
		तहसील कुक्षी एवं राजस्व तहसील डही	1. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार से संबंधित रुपये 1,00,00,000/—(एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद (माह जनवरी से जून तक) एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 2. पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत

			प्रकरण व अन्य कार्यवाहियां। 3. आरक्षी केन्द्र कुक्षी एवं टाण्डा के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 5. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
11.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी	सत्र खंड, धार की तहसील कुक्षी	1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, के मामलों के छोड़कर आरक्षी केन्द्र डही एवं बाग से उद्भूत जमानत आवेदनों की सुनवाई। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 3. कुक्षी एवं डही तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि., 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियां।
		तहसील कुक्षी एवं राजस्व तहसील डही	1. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार से संबंधित रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद (माह जुलाई से दिसम्बर तक) व व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं

			आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 2. आरक्षी केन्द्र डही एवं बाग के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 3. कुटुम्ब न्यायालय, धार के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर उसी प्रकृति के कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के सभी दीवानी प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है। 4. माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 के अधधीन रहते हुए वे मामले, जो जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के हों। 5. म.प्र. नगरपालिका अधि., 1981 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 6. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
तहसील स्थापना सरदारपुर (H.J.S.)			
12.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर	सत्र खंड धार की तहसील सरदारपुर	1. तहसील सरदारपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, किन्तु (भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रकरणों को छोड़कर) का प्रथम प्रस्तुतिकरण उक्त न्यायालय में होगा, किन्तु आवंटन मुख्यालय धार से होगा। 2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,

			2012, के मामलों के छोड़कर आरक्षी केन्द्र अमझेरा व राजोद से उद्भूत अन्य जमानत आवेदनों की सुनवाई। 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन।
		तहसील सरदारपुर	1. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार से संबंधित रूपये 1,00,00,000/—(एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद (माह जुलाई से दिसम्बर तक) एवं व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 2. आरक्षी केन्द्र अमझेरा व राजोद के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 3. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
13.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर	सत्र खंड धार की तहसील सरदारपुर	1. तहसील सरदारपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, के मामलों के जमानत आवेदन एवं आरक्षी केन्द्र सरदारपुर से उद्भूत जमानत आवेदनों की सुनवाई। 2. कॉलम 3 के समस्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्या. निवारण) अधिनियम, 1989 के अपराध भी शामिल हैं, व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत

			बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन।
		तहसील सरदारपुर	1. आरक्षी केन्द्र सरदारपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 2. कुटुम्ब न्यायालय, धार के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर उसी प्रकृति के कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के सभी दीवानी प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 4. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
14.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर	सत्र खंड की तहसील सरदारपुर	1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, के मामलों के छोड़कर आरक्षी केन्द्र राजगढ़ से उद्भूत अन्य जमानत आवेदनों की सुनवाई। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 3. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना क्रमांक बी/1947 जबलपुर दिनांक 23.04.2025 के

		आलोक में सरदारपुर तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि., 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियां।
	तहसील सरदारपुर	1. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के रुपये 1,00,00,000/—(एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद (माह जनवरी से जून तक) एवं व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 2. पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकरण व अन्य कार्यवाहियां। 3. आरक्षी केन्द्र राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 के अध्याधीन रहते हुए वे मामले, जो जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के हों। 5. म.प्र. नगरपालिका अधि., 1981 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 6. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।

तहसील स्थापना मनावर (H.J.S.)			
15.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर	सत्र खंड धार की तहसील मनावर	- कॉलम क्रमांक 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, किन्तु (भारतीय विधुत अधिनियम, 2003 के प्रकरणों को छोड़कर) का प्रथम प्रस्तुतिकरण उक्त न्यायालय में होगा, किन्तु आवंटन मुख्यालय धार से होगा। - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, के मामलों के छोड़कर आरक्षी केन्द्र मनावर से उद्भूत अन्य जमानत आवेदनों की सुनवाई। - सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण, जमानत आवेदन और अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	- कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद (माह जुलाई से दिसम्बर तक) एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। - पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकरण व अन्य कार्यवाहियां। आरक्षी केन्द्र मनावर के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) - कुटुम्ब न्यायालय, धार के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के उसी प्रकृति के सभी दीवानी प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है। - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण।

			6. म.प्र. नगरपालिका अधि., 1981 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 7. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 के अध्यक्षीन रहते हुए वे मामले, जो जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के हों। 8. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
16.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर	सत्र खण्ड धार की तहसील मनावर	1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, के मामलों को छोड़कर आरक्षी केन्द्र गंधवानी से उद्भूत अन्य जमानत आवेदनों की सुनवाई। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण, जमानत आवेदन और अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	1. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के रूपये 1,00,00,000/—(एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद (माह जनवरी से जून तक) एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 2. आरक्षी केन्द्र गंधवानी के अंतर्गत आने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 3. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त

			न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
17.	अतिरिक्त प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर	सत्र खण्ड धार की तहसील मनावर तहसील मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण, जमानत आवेदन और अन्य कार्यवाहियां। 2. कॉलम 3 के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्या. निवारण) अधिनियम, 1989 के अपराध भी शामिल हैं, व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण, जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 3. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना क्रमांक बी/1947 जबलपुर दिनांक 23.04.2025 के आलोक में मनावर एवं गंधवानी तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि., 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां। 1. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।

तहसील स्थापना धरमपुरी (H.J.S.)			
18.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी	सत्र खंड, धार की तहसील धरमपुरी	1. तहसील धरमपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं का प्रथम प्रस्तुतिकरण उक्त न्यायालय में होगा, किन्तु आवंटन मुख्यालय धार से होगा। 2. कॉलम 3 के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत जमानत आवेदनों की सुनवाई। 3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्या. निवारण) अधिनियम, 1989 के अपराध भी शामिल हैं, व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 4. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना क्रमांक बी/1947 जबलपुर दिनांक 23.04.2025 के आलोक में धरमपुरी तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि., 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां। 5. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील धरमपुरी	1. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार से संबंधित रुपये 1,00,00,000/—(एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 2. पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व अन्य कार्यवाहियां। 3. आरक्षी केन्द्र धरमपुरी एवं धामनोद के अंतर्गत आने

			वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उक्त आरक्षी केन्द्रों के निवासी हो अथवा दुर्घटना उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) 4. कुटुम्ब न्यायालय, धार के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर उसी प्रकृति के कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के सभी दीवानी प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 के अध्याधीन रहते हुए वे मामले, जो जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के हों। 6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 7. म.प्र. नगरपालिका अधि., 1981 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 8. प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां, जो उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अधिनिर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न होंगे। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
मुख्यालय धार (L.J.S.)			
19.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 2. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 3. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित

			किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
20.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. माह जनवरी से मार्च तक रुपये 5,00,000/— (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/—(एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
21.	द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
22.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रकरण, निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का क्रियान्वयन। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार द्वारा समय समय पर अंतरित दीवानी प्रकृति के प्रकरण व कार्यवाहियां।
23.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. माह अप्रैल से जून तक रुपये 5,00,000/— (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/—(एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व

			विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
24.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. माह जुलाई से सितम्बर तक रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
25.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. माह अक्टूबर से दिसम्बर तक रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
26.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. माह जुलाई से दिसम्बर तक रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन

			प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
27.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. माह जनवरी से जून तक रुपये 5,00,000/— (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
28.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, धार	तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
तहसील स्थापना सरदारपुर (L.J.S.)			
29.	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	तहसील सरदारपुर	1. रुपये 5,00,000/— (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/—(एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 3. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 4. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन

			प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
30.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	तहसील सरदारपुर	1. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
31.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	तहसील सरदारपुर	1. रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
तहसील स्थापना कुक्षी (L.J.S.)			
32.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	तहसील कुक्षी एवं राजस्व तहसील डही	1. रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 3. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 4. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।

33.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	तहसील कुक्षी एवं राजस्व तहसील डही	1. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
तहसील स्थापना धरमपुरी (L.J.S.)			
34.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	तहसील धरमपुरी	1. रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 3. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 4. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
35.	अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	तहसील धरमपुरी	1. रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।

तहसील स्थापना मनावर (L.J.S.)			
36.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मनावर	तहसील मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	1. माह जनवरी से जून तक रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 3. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 4. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
37.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मनावर	तहसील मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	1. माह जुलाई से दिसम्बर तक रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
39.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मनावर	तहसील मनावर एवं राजस्व	1. रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के

		तहसील गंधवानी	प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
40.	पीठासीन अधिकारी, ग्राम न्यायालय, मनावर	तहसील मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के अंतर्गत के प्रकरण एवं निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का क्रियान्वयन। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
तहसील स्थापना बदनावर (L.J.S.)			
41.	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बदनावर	तहसील बदनावर	1. रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 3. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 4. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व

			विविध कार्यवाहियां।
42.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बदनावर	तहसील बदनावर	1. माह जनवरी से जून तक रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
43.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बदनावर	तहसील बदनावर	1. माह जुलाई से दिसम्बर तक रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी एक्ट के प्रकरण। 2. उक्त न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।

**सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अनुपलब्धता की दशा में
मुख्यालय धार में जमानत आवेदनों के संबंध में व्यवस्था**

टीप :-

- (ए) पश्चातवर्ती (repeat) जमानत आवेदन, सत्र न्यायालय में पंजीबद्ध होने के उपरांत, जिस विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्व का या पश्चातवर्ती जमानत आवेदन निराकृत हुआ है, उन्हीं न्यायाधीश को अंतरित (transfer) हुआ माना जावेगा व इसके लिये पृथक से अंतरण आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
- (बी) सत्र मामलों में समान अपराध क्रमांक के मामले में यदि किसी न्यायालय ने एक अभियुक्त के जमानत की सुनवाई की है, तो अन्य अभियुक्तों का जमानत आवेदन भी उसी न्यायालय (यदि वह न्यायालय/न्यायाधीश उपलब्ध है तो) द्वारा श्रवण किया जावेगा।

- (सी) उपरोक्त को छोड़कर सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अनुपलब्धता की दशा में जमानत आवेदन पेश होने पर (जहां ऊपर वर्णित (बी) अनुसार स्थिति न हो) निम्नानुसार दर्शाये जा रहे पुलिस थाने से संबंधित जमानत आवेदन उनके सम्मुख दर्शाये गये अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु स्वतः अंतरित हो जावेंगे:-

पुलिस थाना क्षेत्र	न्यायालय
1	2
1. थाना कोतवाली धार एवं थाना नौगांव से संबंधित जमानत आवेदन।	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, अंतर्गत अ.जा. एवं अज.जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम धार
2. थाना तिरला एवं सादलपुर से संबंधित जमानत आवेदन।	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धार
3. महिला थाना धार से संबंधित जमानत आवेदन।	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, धार
4. थाना पीथमपुर एवं सागौर से संबंधित जमानत आवेदन।	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, धार
5. थाना सेक्टर क्रमांक 1 एवं वन मण्डल से संबंधित जमानत आवेदन।	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, धार
6. थाना नालछा एवं माण्डव से संबंधित जमानत आवेदन।	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार
7. थाना आबकारी धार एवं सागौर से संबंधित जमानत आवेदन व धार मुख्यालय से संबंधित अन्य जमानत आवेदन जिनका उल्लेख उक्त सारणी में नहीं है।	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धार

- (डी) सत्र न्यायाधीश के अवकाश या अनुपलब्धता की दशा में, विशेष न्यायालयों में सीधे प्रस्तुत होने वाले धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जमानत आवेदनों को छोड़कर, शेष जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में प्रस्तुति व पंजीयन उपरांत नामांकित न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु रखे जावेंगे, जो उनके हवाले किये गये (made over) माने जावेंगे।

- (ई) यदि विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित जमानत आवेदन प्रभारी न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जाता है तो उसका अभिलेख वापस उसी न्यायालय को भेज दिया जावेगा ताकि वह अभिलेख नियमानुसार उस न्यायालय द्वारा अभिलेखागार में भेजा जा सके।
- (एफ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 एवं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 से संबंधित विशेष न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने या विशेष न्यायाधीश की अनुपलब्धता की दशा में इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये या लंबित जमानत आवेदनों एवं अन्य त्वरित सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदनों की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/2262 एवं सी/2264/ तीन-6-3/89 जबलपुर, दिनांक 14/09/2020 के अनुसार वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में उत्तरवर्ती वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावेगी।

अवकाश पर प्रभार

निम्नलिखित टीप के अध्यक्षीन रहते हुए अन्य आदेश के अभाव में निम्नानुसार तालिका के कॉलम नं. 2 में उल्लिखित न्यायिक अधिकारियों के अवकाश पर होने या उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में उनके न्यायालयों का आवश्यक कार्य कॉलम नं. 3 में उल्लिखित अधिकारी, उनकी अनुपस्थिति में कॉलम नं. 4 में उल्लिखित अधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में कॉलम नं. 5 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा। उच्च न्यायिक अधिकारी की स्थिति में आवश्यक कार्य में जमानत, सुपुर्दनामा आदि से संबंधित कार्यवाहियां भी शामिल होंगी। निम्नांकित कॉलम क्रमांक 3, 4 व 5 के अधिकारियों की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता की स्थिति में क्रमांक 5 के क्रमानुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा एवं सभी अधिकारियों की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता की स्थिति में मुख्यालय एवं तहसील स्थापना पर उपलब्ध **वरिष्ठ** न्यायाधीश द्वारा उस न्यायालय के आवश्यक कार्यों का संपादन किया जावेगा—

1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अंतर्गत अ.जा. एवं अज. जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम धार	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार
2	विशेष न्यायाधीश/	चतुर्थ जिला एवं अपर	प्रथम जिला एवं	पंचम जिला एवं अपर

[illegible]

•

[illegible]

	वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर	न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर	न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार	न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार
32	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार
33	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार
34	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी
35	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धरमपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर
36	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी
37	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी
38	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धरमपुरी
39	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर
40	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर

धार न्यायिक स्थापना के रिक्त न्यायालयों एवं बाहरी स्थानों से प्राप्त प्रकरणों की कार्य व्यवस्था

1	धार	विशेष/जिला न्यायाधीशों एवं अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों (फास्टट्रेक न्यायालय सहित) से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार
2	धार	अन्य जिलों व राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की	चतुर्थ जिला एवं

		निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां, जो जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	अपर सत्र न्यायाधीश, धार
3	धार	व्यवहार न्यायालय, वरिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, धार
4	धार	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, धार
5	धार	व्यवहार न्यायालय, कनिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, धार
6	धार	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, धार
7	बदनावर	जिला न्यायाधीशों, अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों (शृंखला न्यायालय सहित) से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर
8	बदनावर	अन्य जिलों व राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां, जो जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर
9	बदनावर	व्यवहार न्यायालय, वरिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बदनावर
10	बदनावर	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बदनावर
11	बदनावर	व्यवहार न्यायालय, कनिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से	प्रथम व्यवहार

		संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बदनावर
12	बदनावर	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बदनावर
13	सरदारपुर	जिला न्यायाधीशों एवं अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर
14	सरदारपुर	अन्य जिलों व राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां, जो जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर
15	सरदारपुर	व्यवहार न्यायालय, वरिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, सरदारपुर
16	सरदारपुर	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, सरदारपुर
17	सरदारपुर	व्यवहार न्यायालय, कनिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, सरदारपुर
18	सरदारपुर	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, सरदारपुर
19	मनावर	जिला न्यायाधीशों एवं अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों (फास्टट्रेक न्यायालय सहित) से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर
20	मनावर	अन्य जिलों व राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की	प्रथम जिला एवं

		निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां, जो जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर
21	मनावर	व्यवहार न्यायालय, वरिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, मनावर
22	मनावर	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, मनावर
23	मनावर	व्यवहार न्यायालय, कनिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, मनावर
24	मनावर	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, मनावर
25	कुक्षी	जिला न्यायाधीशों एवं अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों (फास्टट्रेक न्यायालय सहित) से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी
26	कुक्षी	अन्य जिलों व राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां, जो जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी
27	कुक्षी	व्यवहार न्यायालय, वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, कुक्षी
28	कुक्षी	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खण्ड के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, कुक्षी
29	धरमपुरी	जिला न्यायाधीशों एवं अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त	द्वितीय जिला एवं

		न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी
30	धरमपुरी	अन्य जिलों व राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां, जो जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी
31	धरमपुरी	व्यवहार न्यायालय, वरिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, धरमपुरी
32	धरमपुरी	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, धरमपुरी
33	धरमपुरी	व्यवहार न्यायालय, कनिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, धरमपुरी
34	धरमपुरी	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, धरमपुरी

नोट :-

- (1) लोक-अदालत धार/सरदारपुर/बदनावर/मनावर/कुक्षी/धरमपुरी के माध्यम से निराकृत सिविल मामलों के निष्पादन संबंधी प्रकरण, उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जिस न्यायालय द्वारा वे प्रकरण लोक-अदालत को रेफर किये गये थे।
- (2) इस कार्य वितरण आदेश के पृष्ठ क्रमांक 5 की कण्डिका क्रमांक 5 "तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर" के चरण 2 एवं पृष्ठ क्रमांक 8 के चरण क्रमांक 4 के अध्यक्षीन रहते हुये न्यायालय रिक्त होने के सिवाय, किसी भी आदेश या निर्णय का निष्पादन आवेदन या आनुषांगिक कार्यवाहियां, जिनमें व्यवहार वाद का पुनर्स्थापन भी शामिल है, उसी न्यायालय में होंगी, जिस न्यायालय का वह निर्णय या आदेश है एवं वही न्यायालय अपीलीय न्यायालय के आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन भी करेगा।

- (3) अवकाश प्रभार की व्यवस्था के बावजूद भी यदि ऐसी आकस्मिक स्थिति बनती है, कि जिला मुख्यालय पर कोई भी उच्च न्यायिक सेवा का न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार द्वारा व उनकी अनुपलब्धता पर उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा औपचारिक व आवश्यक कार्यो का संपादन किया जावेगा।
- (4) मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक-693/2025 दिनांक 28.02.2025 अनुसार संशोधन संबंधी अधिसूचना के अनुक्रमांक-14 के कॉलम (4) के बिन्दु क्रमांक-(एक) एवं (दो) में उल्लिखित स्थानों (केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका निगम/नगर पालिका की सीमाओं एवं जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाओं तथा बाह्य तहसील पीथमपुर की सीमाएं) के संबंध में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के अधीन आने वाले दीवानी प्रकृति के मामलों के संबंध में कार्यवाहियों का क्षेत्राधिकार कुटुम्ब न्यायालय, धार को होगा और उनसे भिन्न स्थानों के लिए क्षेत्राधिकार इस कार्य वितरण आदेश के अनुसार संबंधित न्यायालय को होगा।
- (5) धारा 21(4) व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि यदि ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई आवेदन/वाद/प्रकरण अत्यावश्यकता दर्शाकर पेश किया जाता है तो संबंधित न्यायालय अथवा प्रभारी न्यायाधीश उसे ग्रहण कर न्यायिक विवेकानुसार कार्यवाही करेंगे।
- (6) तहसील स्थापनाओं से मुख्यालय पर आवंटन आदेश हेतु प्रेषित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक रिक्वीजन की पत्रावलियों के आवंटन आदेश यदि सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अनुपलब्ध होने की स्थिति में नियत दिनांक तक प्राप्त नहीं होते हैं तो, नियत दिनांक पर संबंधित स्थापना के प्रथम प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में औपचारिक सुनवाई करते हुए आगामी दिनांक नियत की जायेगी। (इस प्रयोजन हेतु प्रथम प्रभारी अधिकारी वे माने जावेंगे, जिनके न्यायालय में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रकरण की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई होती है।)
- (7) इस कार्य वितरण आदेश के चरण क्रमांक 1 के क्षेत्राधिकार "सम्पूर्ण सत्र खण्ड धार" की कण्डिका 9 एवं "तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर" की कण्डिका 10 के अधधीन रहते हुये कॉलम 3 के क्षेत्राधिकार से उद्भूत जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड की क्षेत्राधिकारिता के सभी तरह के प्रकरण, चाहे वे आपराधिक प्रकृति के हों या दीवानी प्रकृति के हों, **जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है**, संबंधित स्थापना के वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश एवं वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड, जैसी भी स्थिति हो, के न्यायालय में पेश होंगे।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 धार (म.प्र.)